भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2241
12 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान भारत कार्ड हेतु फर्जी पंजीकरण

2241. श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न राज्यों से आयुष्मान भारत कार्ड के नाम पर फर्जी पंजीकरण और फर्जी दावे, कार्ड का दुरुपयोग और उपचार बिलों में अनियमितताओं जैसी धोखाधड़ी गतिविधियों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है, विशेषकर गुजरात में तथा विगत तीन वर्षों के दौरान दर्ज किए गए ऐसे मामलों की संख्या कितनी है;
(ग) सरकार ने ऐसी गड़बड़ियों की जांच के लिए क्या कदम उठाए हैं और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है; और
(घ) क्या सरकार का आयुष्मान कार्ड प्रणाली को और ज़्यादा पारदर्शी बनाने, सत्यापन प्रक्रिया को मज़बूत करने और शिकायत निवारण प्रणाली को और ज़्यादा प्रभावी बनाने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): आयुष्मान भारत - प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) धोखाधड़ी के प्रति शून्य-सहिष्णुता के दृष्टिकोण से शासित होती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) में स्थापित राष्ट्रीय धोखाधड़ी -रोधी इकाई (एनएएफयू) लेन-देन प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस) के भीतर एआई/एमएल-आधारित स्वचालित ट्रिगर्स का उपयोग करके डुप्लिकेट प्रविष्टियों, बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई प्रक्रियाओं या रोगी की पहचान के दुरुपयोग जैसे असामान्य दावा पैटर्न को स्वचालित रूप से चिह्नित करती है। एबी-पीएमजेएवाई के समग्र धोखाधड़ी-रोधी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए नियमित क्षमता-निर्माण कार्यशालाएं और क्षेत्रीय स्तर पर

प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं। एनएएफयू धोखाधड़ी के मामलों की जांच और कार्रवाई के लिए राज्य धोखाधड़ी-रोधी इकाइयों (एसएएफयू) के साथ मिलकर काम करता है। स्वचालित ट्रिगर्स द्वारा संदिग्ध के रूप में चिह्नित मामलों को सत्यापन के लिए संबंधित राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरणों (एसएएचए) को भेजा जाता है। धोखाधड़ी करने वाली संस्थाओं के विरुद्ध निलंबन, कारण बताओ नोटिस जारी करना, चेतावनी पत्र भेजना, अस्पतालों को पैनल से हटाना, ई-कार्ड निष्क्रिय करना, दोषी अस्पतालों पर जुर्माना लगाना और एफआईआर दर्ज करना जैसी उचित कार्रवाई की जाती है। दिनांक 15.11.2025 तक की स्थिति के अनुसार, 1184 अस्पतालों को पैनल से हटा दिया गया, धोखाधड़ी करने वाली संस्थाओं पर 231.88 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 411 अस्पतालों को निलंबित कर दिया गया।

(घ): एबी-पीएमजेएवाई के तहत कार्ड बनाने की प्रक्रिया में कई सत्यापन जैसे कि डुप्लीकेशन हटाना, आधार कार्ड की सत्यता, नाम, लिंग और जन्म-तिथि शामिल हैं। आयुष्मान कार्ड आधार से प्राप्त ई-केवाईसी डेटा के सफल सत्यापन के बाद ही जारी किया जाता है। लाभार्थी केंद्रीकृत शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली (सीजीआरएमएस) या 24x7 हेल्पलाइन (14555) के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। लाभार्थियों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक त्रिस्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की गई है। प्रत्येक स्तर पर शिकायतों के निवारण के लिए एक समर्पित नोडल अधिकारी और शिकायत निवारण समितियां हैं।

*****